9

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 290/2021

श्री राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) ग्रा0पो0 बहादुरवास, जिला झुंझुनूं (राजस्थान), पिन कोड 333704

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा।

– –

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 19.01.2022

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 30.12.2021 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 290/2021 पर दिनांक 30.12.2021 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2021/4133–34 दिनांक 30.12.2021 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा ने पत्रांक आरटीआई/2021/10 दिनांक 18.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील के संबंध मे अपीलान्ट राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पटवार मण्डल बहादुरवास के अन्तर्गत ग्राम फूसकानी, बहादुरवास व सैंसवास के विभिन्न खसरा नम्बरान किस्म चारागाह एवं जोहड पर बसी हुई आबादी/अतिक्रमित व्यक्तियों के नामों की सूचना चाही थी। उक्त सूचना निर्धारित समयावधि मे कार्यालय के पत्रांक 491 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नहीं।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) मण्डावा पत्रांक पत्रांक आरटीआई/2021/10 दिनांक 18.01.2022 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील के संबंध मे अपीलान्ट राजबीर सिंह (आर0टी0आई0 कार्यकर्ता) निवासी बहादुरवास, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर पटवार मण्डल बहादुरवास के अन्तर्गत ग्राम फूसकानी, बहादुरवास व सैंसवास के विभिन्न खसरा नम्बरान किस्म चारागाह एवं जोहड पर बसी हुई आबादी/अतिक्रमित व्यक्तियों के नामों की सूचना चाही थी। उक्त सूचना निर्धारित समयावधि मे कार्यालय के पत्रांक 491 दिनांक 13.12.2021 के द्वारा अपीलान्ट को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 19.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं